



ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी० समीक्षा बैठक दिनांक 26 व 27 जून 2015  
राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल  
कार्यवाही विवरण

ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी० समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 26 व 27 जून 2015 को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल में प्रातः 10 बजे से किया गया जिसमें निम्न संगठन अधिकारी उपस्थित रहे—

1	श्री जी०आर०शर्मा	राज्य सचिव राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2	श्रीमती रेशु रजावत	प्रशासनिक अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3	श्री जी०डी०ताम्रकार	लेखाधिकारी, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4	श्री बी०एल० शर्मा	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल
5	श्री आर०एन०तिवारी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल
6	श्रीमती संतोष सिंह	सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) संभा०कार्या० रीवा
7	श्री प्रमोद गंगराडे	सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का०) संभा०कार्या० उज्जैन
8	श्री धीरज सोनी	प्र० स०राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या०सागर
9	श्री बी०एल०चौरे	प्र० स०राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या० शहडोल
10	श्री सुशील कुशवाह	प्र० स०राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या० इन्दौर
11	श्री शंकरसिंह इक्टोरिया	प्र० स०राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या० ग्वालियर
12	श्री ललित मिश्रा	प्र० स०राज्य संगठन आयुक्त (स्का०)संभा०कार्या० जबलपुर
13	श्री सुखदेव सिंह चौहान	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला जबलपुर
14	श्री उमेश श्रीवास्तव	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला बैतूल
15	श्रीमती अनुभूतिसिंह	डी०ओ०सी० (गाइड) जिला उज्जैन
16	श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप	डी०ओ०सी० (गाइड) जिला गुना
17	श्री वीरसिंह यादव	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला मुरैना
18	श्री मनोज पटेल	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला उज्जैन
19	श्री सुशील बिल्लोरे	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला रायसेन
20	श्री गजराज सिंह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला सीहोर
21	श्रीमती अनीता सोनेवाने	डी०ओ०सी० (गाइड) जिला विदिशा
22	श्री गणेश श्रीवास्तव	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला अलीराजपुर / बडवानी
23	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला छिंदवाडा / सिवनी
24	श्री इनेन्द्र डहरवाल	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला बालाघाट
25	श्री मुकेश कुशवाह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला शिवपुरी
26	श्रीमती कंचन सिंह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला सागर
27	श्री मुंशीलाल अहिरवार	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला टीकमगढ़
28	श्री अतिबल सिंह	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला भिण्ड
29	श्री विश्वनाथ मिश्रा	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला सीधी
30	श्री दयाशंकर तिवारी	डी०ओ०सी० (स्काउट) जिला छतरपुर
31	श्रीमती अनीता पाण्डेय	जिला उज्जैन

बैठक का प्रारंभ ईश-प्रार्थना से किया गया तत्पश्चात् एस0ओ0सी0 (स्काउट) श्री बी0एल0शर्मा द्वारा सभी का स्वागत कर बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी । बैठक में ऐजेण्डा अनुसार निम्न बिन्दुओं पर समीक्षात्मक विस्तृत चर्चा की गई-

- राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय युवा कार्यक्रमों में प्रतिभागिता- एस0ओ0सी0 स्काउट द्वारा राज्य/राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम सत्र 2014-2015 का पावर प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया ।

कुल कार्यक्रम	असम्पन्न कार्यक्रम	सम्पन्न कार्यक्रम	सम्पन्न कार्यक्रम में प्रतिभागिता		
			स्काउट	गाइड	योग
23	6	17	744	485	1229

**सम्पन्न कार्यक्रमों में संभागों की प्रतिभागिता की जानकारी**

क्रम	संभाग	कुल सम्पन्न कार्यक्रम	कार्यक्रम में प्रतिभागिता नहीं	सम्पन्न कार्यक्रम में प्रतिभागिता संख्या			
				कार्यक्रम	स्काउट	गाइड	योग
1	भोपाल	17	3	14	128	77	205
2	होशंगाबाद	17	12	5	21	15	36
3	इन्दौर	17	4	13	127	82	209
4	ग्वालियर	17	3	14	116	68	184
5	मुरैना	17	6	11	73	14	87
6	जबलपुर	17	6	11	109	79	188
7	रीवा	17	10	7	51	53	104
8	शहडोल	17	12	5	23	12	35
9	उज्जैन	17	10	7	56	32	88
10	सागर	17	5	12	40	53	93
	योग	17	-	-	744	485	1229

संभाग होशंगाबाद, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन संभाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कम रही है । रीवा संभाग ने 7 कार्यक्रमों में 104 सदस्यों की प्रतिभागिता की है जो ठीक नहीं हैं ।

**राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम में शून्य/न्यूनतम प्रतिभागिता वाले जिले निम्न हैं-**

**शून्य प्रतिभागिता वाले जिले** -बैतूल, झाबुआ, बुरहानपुर, सिवनी, मण्डला, नीमच, ।

**न्यूनतम प्रतिभागिता वाले जिले**-राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा, बडवानी, खरगौन, अलीराजपुर, श्योपुर, बालाघाट, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया देवास, रतलाम, शाजापुर है ।

**कार्यवाही-** एसओसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

- राष्ट्रीय कार्यक्रम :-** राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिन संभागों को कोटा दिया गया था उसमें दिये गये कोटे के अनुसार पूर्ति संभागों द्वारा की गई ।
- अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम :-** अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत बेसिक मेनेजमेन्ट कोर्स दिनांक 4 से 14 फरवरी 2014 कलकत्ता में प्रदेश से कोटे के अनुसार एक प्रतिभागिता रही ।
- सत्र 2014-2015 में युवा एडवांसमेन्ट -**

क्रम	नाम	उपलब्धी संख्या		
		स्काउट	गाइड	योग
1	गोल्डन ऐरो कब/बुलबुल	13	00	13
2	तृतीय सोपान	651	299	950
3	राज्य पुरस्कार	119	76	195

4	राष्ट्रपति अवार्ड स्का./गा.	33	15	48
5	राष्ट्रपति अवार्ड रो./रे.	7	1	08
	<b>महायोग</b>	<b>823</b>	<b>391</b>	<b>1214</b>

- 5 **प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम 2015-2016** – प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक स्तर के कार्यक्रमों संभाग/जिलों की प्रतिभागिता अनिवार्य है। अतः अपने संभाग/जिले की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें एवं राज्य मुख्यालय को समय पर सूची प्रेषित किया जावे।
- 6 **20 दल :-** 20 दल का गठन का तात्पर्य उत्कृष्ट दल तैयार कर लक्ष्यपूर्ति किया जाना था लेकिन ठीक से संचालन व मानिट्रिंग नहीं हो पा रहा है। अतः पुराने 20 दल को सक्रिय कर नवीन 10 दल प्रत्येक ईकाई को ध्यान रखकर चयनित कर सूची 10 जुलाई 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 7 **नवीन दल गठन-** प्रत्येक ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 अपने संभाग/जिले में 10-10 दल अशासकीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप दल गठन की प्रक्रिया 10 जुलाई 2015 तक पूर्ण करना है।
- 8 **ओपन दल :-**जिला में कम से कम 4 ओपन दल का गठन करें एवं उनका उपयोग प्रत्येक स्तर के सेवाकार्य में उपयोग किया जावे।
- 9 **सिहस्थ उज्जैन 2016-** सभी ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 सिहस्थ उज्जैन 2016 के संबंध में निर्देश दिये गये हे कि अपने अपने जिले से 10 स्काउटर, 10 गाइडर, 10 रोवर, 5 रेजर, एवं स्काउटर- गाइडर की सूची भेजे।
- 10 जिला स्तर के द्वितीय सोपान जांच, द्वितीय चरण-रजतपंख जांच, पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर की विकास-विशेष की 50 प्रतिशत की राशि राज्य मुख्यालय को नहीं भेजी गई है। इन्हें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि 20 जुलाई 2015 तक उक्त राशि राज्य मुख्यालय प्रेषित करें एवं सत्र 2015-2016 में प्रत्येक जिले में शिविर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 11 **संभाग स्तरीय तृतीय सोपान जांच शिविर-** संभाग स्तरीय तृतीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर में संभाग के समस्त जिलों की प्रतिभागिता अनिवार्य रूप से होना चाहिये। इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जावे।
- 12 **राज्य पुरस्कार जांच शिविर** – राज्य स्तर पर माह अगस्त में 3 भागों में राज्य पुरस्कार स्काउट-गाइड जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपने अपने संभाग एवं जिलों से प्रतिभागिता कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। सभी प्रतिभागिता शिविरों में सम्मिलित हो सुनिश्चित किया जावे।

**कार्यवाही- एसओसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)**

- 13 **आगामी माह में आयोजित होने वाले युवा कार्यक्रम :-** राज्य स्तर के सभी शिविर में

क्रम	शिविर का नाम	अवधि	स्थान	संचालक
1	राष्ट्रपति स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर-2	दि0 1 से 5 जुलाई 2015 तक	रा0प्र0के0गांधीनगर भोपाल	श्रीमती संतोषसिंह
2	प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता कार्यशाला	दि0 5 से 7 जुलाई 2015 तक	रा0प्र0के0गांधीनगर भोपाल	सुश्री आशासिंह
3	निपुण रोवर-रेंजर जांच शिविर	दिनांक 22 से 26 जुलाई 2015	रा0प्र0के0गांधीनगर भोपाल	श्री आर0के0तिवारी
4	रटेट एडवेंचर प्रोग्राम-2	दि0 24 से 28 जुलाई 2015 तक	कालाकुण्ड इन्दौर	श्री राजेश मेवाड़े
5	राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन	दि0 3 से 7 अगस्त 2015 तक	रा0प्र0के0गांधीनगर भोपाल	श्री प्रमोद गंगराड़े

6	राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग-जबलपुर, रीवा, शहडोल	दि० 9 से 13 अगस्त 2015 तक	रा०प्र०के०गांधीनगर भोपाल	श्रीमती संतोषसिंह
7	राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग-ग्वालियर, सागर	दि० 17 से 21 अगस्त 2015 तक	रा०प्र०के०गांधीनगर भोपाल	सुश्री विजय गेहलोत

**कार्यवाही- एसओसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)**

- 14 श्री उमेश श्रीवास्तव डी०ओ०सी० जिला बैतूल बैठक में एक दिन दिनांक 26 जून 2015 को उपस्थित हुये एवं 27 जून 2015 को अनुपस्थित रहें, इस कारण एक दिवस का वेतन काटा जावे । **कार्यवाही-लेखा शाखा**
- 15 जिला प्रोफाईल सत्र 2014-2015 का अनिवार्य रूप से 30 जुलाई 2015 तक प्रेषित करें ।
- 16 राज्य स्तरीय एडवेंचर कार्यक्रम दिनांक 24 से 28 जुलाई 2015 तक कालाकुण्ड इन्दौर में किया जा रहा है । उक्त एडवेंचर में प्रतिभागिता हेतु संभाग/जिलों से आवेदन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुये है अतः 3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भेजे ।
- निर्देश :-1** राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में दिये गये कोटे के अनुसार युवा कार्यक्रम पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।
- 2 राज्य स्तर पर प्रतिभागिता करने वाले प्रतिभागियों से व्यक्तिगत एवं संस्था प्रधान से सम्पर्क अनिवार्य रूप किया जाना चाहिये ।
- 3 जिन संभाग व जिलों में प्रतिभागिता शुन्य/नगण्य रही है उनको सचेत किया जाता है कि आगामी शिविरों हेतु प्रतिभागिता की पूर्ण न होने पर वेतन रोकने संबंधी कार्यवाही की जावे ।
- 4 निर्धारित 5 बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये कार्ययोजना तैयार कर उक्त 5 बिन्दुओं पर लक्ष्य पूर्ति के आधार पर उपलब्धियों का उल्लेख करते हुये कार्यप्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
- 5 माह जुलाई में जिलों में प्राचार्यों की बैठक की तिथियों से इस कार्यालय को दिनांक 10 जुलाई 2015अवगत करावे एवं समय सीमा चर्चाकर तय करें ।
- 6 संभाग व जिलों में भण्डार सामग्री की विक्रय, युवा, वयस्क, एवं पंजीयन एवं पत्रिका में वृद्धि करना प्रमुख लक्ष्य है । बढ़ाना ।
- 7 पत्रिका की सदस्यता एवं विज्ञापन को बढ़ावा देना है ।
- 8 जिला व संभाग स्तर के युवा/वयस्क के प्रशिक्षण स्थगित नहीं होना चाहिये एवं आयोजित होने वाले शिविरों की सूचना प्रथम दिवस की संध्या तक दी जावे । ।
- 9 शिविरों के लिये जिन प्रतिभागियों एवं संचालक मण्डल को आदेश किया जाता है उनको प्रस्थान के पूर्व एक बार मोबाईल से कन्फर्म किया जाना चाहिये ।
- 10 किसी भी स्थिति में आपका मोबाईल एवं कार्यालय का दूरभाष बन्द नहीं होना चाहिये ।
- 11 अशासकीय विद्यालयों में दल संचालन करावे ।
- 12 स्वच्छ भारत सुन्दर भारत अभियान की रिपोर्ट प्रतिमाह फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग पृथक से प्रत्येक माह 5 तारीख तक भेजना अनिवार्य है ।
- 13 प्रतिदिन ईमेल पत्रों की कापी निकाल कर कार्यवाही की जावे ।
- 14 1 जुलाई 2015 से विडियों कान्फ्रेस प्रारंभ की जा रही है । अतः कम्प्यूटर, कैमरा ठीक रखें ।
- 15 प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही शिविर होना चाहिये अतः सभी ए०एस०ओ०सी०माह जुलाई में प्रशिक्षण केन्द्रों का विजिट कर आवश्यक व्यवस्थायें करायी जावे ।
- 16 मासिक उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में समय सीमा में प्रेषित करें ।

**कार्यवाही- ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)**

## 2. राज्य स्तरीय वयस्क प्रशिक्षण –

### बेसिक कोर्स –

- 1 **बेसिक कब मास्टर कोर्स** में जिला भोपाल, सीहोर, बैतूल, इन्दौर, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, सागर, पन्ना, छत्तरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, नरसिंहपुर, की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष सभी जिलों की प्रतिभागिता रही है ।
- 2 **बेसिक स्काउट मास्टर कोर्स** में जिला झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, दतिया, अशोकनगर, रीवा, अनूपपुर, मण्डला, की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष सभी जिलों की प्रतिभागिता रही है ।
- 3 **बेसिक रोवर लीडर कोर्स** में जिला राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, धार, झाबुआ, खरगौन, अलीराजपुर, उज्जैन, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, देवास, दतिया, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिडौरी, जबलपुर, सिवनी, मण्डला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष जिलों की प्रतिभागिता रहीं है ।
- 4 **बेसिक फ्लैक लीडर कोर्स** में जिला विदिशा, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, खण्डवा, नरसिंहपुर, मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिडौरी, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छत्तरपुर, देवास, रतलाम, नीमच, मन्दसौर की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष जिला की प्रतिभागिता रही है ।
- 5 **बेसिक गाइड केप्टिन कोर्स** में जिला भिण्ड, गुना, अशोकनगर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिडौरी, दमोह, रतलाम, मन्दसौर, नीमच की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष जिला से प्रतिभागिता की गई है ।
- 6 **बेसिक रेंजर लीडर कोर्स** में जिला रायसेन, विदिशा, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिडौरी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छत्तरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मन्दसौर, नीमच की प्रतिभागिता शून्य रही है । शेष प्रतिभागिता रही है ।

कार्यवाही- एसटीसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

### 7 सत्र 2014-2015 में हिमालय वुड बैज/प्री ए0एल0टी0/ए0एल0टी0/एल0टी की संख्या

	CM	SM	RL	FL	GC	RnL
हिमालय वुड बैज	05	11	01	05	05	01
प्री ए0एल0टी0	00	03	00	00	00	00
ए0एल0टी0	01	03	00	00	00	00
एल0टी0	00	01	00	00	00	00

राज्य सचिव महोदय द्वारा श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा डी0ओ0सी0 स्काउट जिला छिंदवाड़ा को सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट का वीडस एवं ऑनरेबल चार्ज एवं श्री अतिबल सिंह डी0ओ0 स्काउट जिला भिण्ड को हिमालय वुड बैज स्काउट वीडस एवं पार्चमेन्ट प्रदान किया गया ।

- 8 **सेल्फ लर्निंग मॉड्यूलर कोर्स** – संशोधित स्कीम ऑफ ट्रेनिंग के अन्तर्गत सामान्य सूचना शिविर के स्थान पर सेल्फ लर्निंग मॉड्यूलर कोर्स का आयोजन जिले एवं विकास खण्डों में दिनांक 20 से 30 जुलाई 2015 तक किया जाना है । कोर्स की अवधि 8 घन्टे का होगा । उक्त कोर्स में पंजीयन शुल्क के रूप में 100/- प्रति सदस्य लिया जाकर 50 प्रतिशत राशि राज्य मुख्यालय, 25 प्रतिशत राशि का हेण्ड आऊट एवं 25 प्रतिशत राशि का स्वल्पाहर की व्यवस्था किया जाना है ।

कार्यवाही- एसटीसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

- 9 **प्राचार्य/संस्था प्रधान संगोष्ठी**— प्राचार्य/संस्था प्रधान संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 20 से 30 जुलाई 2015 तक जिले व विकास खण्डों में किया जाना है । संगोष्ठी में 200/— प्रति सदस्य लिया जाकर 150/— राज्य मुख्यालय एवं 50/— स्वल्पाहार की व्यवस्था किया जाना है । बैठक में उपस्थित प्राचार्यों की सूची सहित राज्य मुख्यालय को भेजा जावे ।
- 10 **जिला संघ निर्वाचन**— जिला संघ निर्वाचन के संबंध में एस0टी0सी0स्काउट एवं निर्वाचन प्रभारी द्वारा जिला संघों की सूची प्रस्तुत कर वैध जिला संघ की जानकारी प्रस्तुत की । साथ ही प्रदेश के ऐसे जिलों जहाँ पर अभी तक निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो पाया है तथा निर्वाचन प्रक्रिया जारी है को समय सीमा के अन्दर निर्वाचन दिनांक 15 जुलाई 2015 तक सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये गये एवं निर्वाचित व पदेन पदाधिकारियों के नामों की सूची पता व मो0न0 के साथ सूची दिनांक 15 जुलाई 2015 तक भेजने की कार्यवाही करें । दिनांक 15 जुलाई 2015 के बाद प्राप्त होने वाले निर्वाचन संबंधी कार्यवाही मान्य नहीं की जावेगी । उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि कार्यालयीन पत्र क्र0/निर्वाचन/2600 भोपाल, दिनांक 15/6/2015 का फार्मेट समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 को भेजा जा चुका है ।

**निर्णय**— जो जिले निर्धारित राशि 50 प्रशित नहीं भेजते है वह राज्य परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं ले पायेंगे ।

**कार्यवाही**— जिला संघ निर्वा.कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

- 11 **वारंट** — जिला संघ के पदाधिकारियों का वारंट (अधिकार पत्र) होना अनिवार्य है । इस हेतु जिले के पदाधिकारियों के नाम, पद, पता एवं मो0न0 दिनांक 15 जुलाई 2015 तक भिजवा दिये जावे ताकि अधिकार पत्र जारी किया जा सके ।

**कार्यवाही**— एसटीसी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

- 3 **पंजीयन शाखा** :- जिलों की पंजीयन राशि वर्ष 2013-14 की लम्बित है इसी पंजीयन राशि के आधार पर जिलों के दलों की गणना के आधार पर ही स्काउटर-गाइडर की संख्या निश्चित होगी । प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2013-14 की शेष राशि को भेजने हेतु ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 संबंधित जिलों के अधिकारियों से सम्पर्क कर भिजवाना । इसकी पूर्ति नहीं होने पर ऐसे जिले जिनकी लक्ष्यपूर्ति 13-14 की नहीं है आगामी राज्य परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं ले पायेंगे । सत्र 2014-2015 की दल पंजीयन राशि जिला सीहोर से 182064/—, जिला रायसेन से 2927/—, जिला सीधी से 34978/—, जिला सागर से 21000/—, जिला बडवानी से 30000/—, जिला जबलपुर से 8000/—, शिवपुरी से 30000/—, जिला मुरैना से 66425/— की राशि प्राप्त हुई । शेष जिलों से राशि अप्राप्त है । जिसे 20 जुलाई 2015 तक भेजने के निर्देश दिये गये ।

**कार्यवाही**— पंजीयन कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

#### 4 **पत्रिका :-**

##### 1 **पत्रिका की सदस्यता :-**

पत्रिका की सदस्यता 31 मार्च 2015 की स्थिति में निम्न जिलों में सदस्यता निरंक है— विदिशा, राजगढ़, रायसेन, हरदा, सिवनी, मण्डला, नरसिंहपुर, उमारिया, डिडौरी, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, टीकमकढ़, गुना, दतिया, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रीवां, सीधी, भिण्ड रतलाम, नीमच

- 2 रसीद बुक की जानकारी— अपने संभाग अन्तर्गत जिलो से प्रत्येक रसीद बुक की जानकारी प्राप्त कर सूची निर्धारित फार्मेट में तैयार कर राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । पत्रिका की सदस्यता की राशि पत्रिका के रसीद बुक पर ही काटी जावे ।

- 3 विज्ञापन राशि — विज्ञापन की शेष राशि अनिवार्य से जमा करें ।

**कार्यवाही**— पत्रिका कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

- 5 **भण्डार (साजसज्जा)** :- नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है । इस हेतु भण्डार मांग पत्र की सूची राशि सहित इस कार्यालय को भेजे । पुरानी लम्बित राशि दिनांक 15 जुलाई 2015

तक भेजी जावें ।

कार्यवाही- भण्डार प्रभारी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

6 लेखा कक्ष के निर्देश :-

लेखाशाखा से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाकर पूर्ति की शीघ्र अपेक्षा की जाती है :-

1. गत बैठक में केम्प लेखे में पाई गई कमियों पर प्रकाश डालते विस्तृत चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया था कि केम्प संहिता में दिये निर्देशों के अनुसार लेखा संधारित कर पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए केम्प लेखा भेजा जायेगा एवं ऐतद् विषयक प्रमाण-पत्र आय-व्यय लेखा पर अंकित कर भेजा जावेगा । जिसका पालन अभी सुनिश्चित रूप से किया जाना नहीं पाया जा रहा है । केम्प लेखा भेजते समय अग्रेषणकर्ता अधिकारी अपने प्रति हस्ताक्षर कर भेजेगा ।
2. मासिक आय-व्यय पत्रक एवं धन-ऋण ज्ञाप पत्रक की जानकारी अगले माह की 5 तारीख तक भेजने हेतु पिछली बैठकों में चर्चा कर निर्देश दिये गये थे । परन्तु जिन कार्यालय के द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही है । उनकी स्थिति अनुसूची 01 में दर्शित की गई है । जिससे जहां संभागीय कार्यालयों की स्थिति पर वास्तविक नियंत्रण नहीं रखा जाना संभागीय अधिकारियों की नियंत्रण क्षमता का सूचक है। अतः संभागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।(परिशिष्ट 01)
3. गत बैठक में 20 तारीख तक कर्मचारियों के उपस्थिति पत्रक भेजना सुनिश्चित किया गया था । जिसका यथेष्ट रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। अधिनस्थ कार्यालयों की उपस्थिति/ अवकाश/ निलंबित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु चाहे गए प्रमाण-पत्र के साथ उपस्थिति 20 तारीख तक आना नहीं पाया जाता है। जिससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या उपत्पन्न होती हैं। ऐसे कर्मचारी जो वेतन भुगतान प्राप्त करने में असर्थ रहते हैं उन्हें भी इस संबंध में कार्यालय के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है। जिससे संबंधित कर्मचारी अनावश्यक रूप से वेतन भुगतान के संबंध में रा.मु.के अधिकारियों को मोबाईल या दूरभाष पर सम्पर्क करता है।
4. मुख्यालयीन पत्र क्रमांक 371 दिनांक 23.01.15 के द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के उपर लंबित अग्रिम की विस्तृत जानकारी दी जाकर समायोजन की कार्यवाही शीघ्र करने का निर्देश दिए गए थे । परन्तु अभी तक परिशिष्ट-02 में दर्शाई जानकारी के अनुसार अग्रिम संबंधितों पर लंबित है । इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों के द्वारा अग्रिम समायोजन हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है न ही कोई पत्राचार राज्य मुख्यालय से किया जाना पाया जाता है। अतः इस बाबत तत्काल परीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये अन्यथा जुलाई-15 के वेतन से दर्शित अग्रिम की वसूली के आदेश जारी किए जावेगे। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं संबंधित का होगा।
5. सभी संभागों से अनुमोदित बजट की प्रतिलिपि चाही गई थी परन्तु किसी भी संभाग के द्वारा प्रतिलिपि नहीं भेजी गई है । सभी संभागीय अधिकारियों को शीघ्र स्वीकृत बजट की प्रतिलिपि भेजने की कार्यवाही अपेक्षित है ।
6. गत बैठक में अंकेक्षण की लंबित कण्डिकाओं के शीघ्र निराकरण हेतु विस्तृत चर्चा की गई ओर निर्णय लिया गया था कि सभी अधिकारी लंबित कण्डिकाओं के निराकरण हेतु यथेष्ट कार्यवाही कर लंबित कण्डिकाओं का निराकरण करायेगे। परन्तु वर्तमान में लंबित कण्डिकाओं की स्थिति परिशिष्ट 03 पर दर्शित है दर्शित कण्डिकाओं का निराकरण कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराए अन्यथा अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य मुख्यालय से अंकेक्षण निराकरण हेतु तिथि निर्धारित कराते हुए निर्धारित तिथि पर राज्य मुख्यालय में आवश्यक सह अभिलेख लेकर उपस्थित होवें एवं कण्डिकाओं को निराकृत करावे।

कार्यवाही- लेखा कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)

7. **स्थापना शाखा के निर्देश-**

- 1 पूर्व निर्देशानुसार आप एवं आपके अधिनस्थ समस्त कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति, साप्ताहिक कार्य योजना एवं पालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को भेजे ।
- 2 संभाग/जिला मुख्यालय का समस्त पत्राचार ई-मेल के माध्यम से ही करें ।
- 3 अवकाश आवेदन 15दिवस पूर्व प्रेषित करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा । अवकाश स्वीकृत होने पर ही मुख्यालय छोड़ा जावे ।
- 4 चिकित्सा अवकाश पर जाने के 3 दिवस के अन्दर अनफीट प्रमाण-पत्र एवं कर्तव्य पर उपस्थिति के साथ फिटनेस प्रमाण-पत्र राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अनफीट एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जावेगा । चिकित्सा अवकाश स्वीकृति तक अवकाश अवधि का वेतन जारी किया जाना संभव नहीं होगा ।

**कार्यवाही- स्थापना कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)**  
**उपरोक्त निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में पालन कर पालन प्रतिवेदन 30 जुलाई 2015 तक तक प्रस्तुत करें ।**

**कार्यवाही- संबंधित कक्ष प्रभारी/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. (स्का./गा.)**



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 14/07/2015

पृ0क्र0/2961-62/रामु/गति./समीक्षा बैठक/2015-16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. राज्य संगठन/ प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड) जिला .....(म0प्र0) ।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) संभाग/जिला मुख्यालय .....(म0प्र0) की ओर भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार आवश्यक जानकारी/पालन प्रतिवेदन भेजे ।
6. समस्त शाखा प्रभारी .....राज्य मुख्यालय ।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश